

अध्याय III

आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

3.1 आन्तरिक नियंत्रण किसी सत्त्व के प्रबन्धन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है। यह जोखिम का समाधान करती है और सत्त्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्त्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

- क) व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;
- ख) जवाबदेही का कर्तव्य निभाना;
- ग) लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;
- घ) हानि, दुरुपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

3.2 हमने पाया कि विभागीय अधिकारियों ने ₹ 7.88 करोड़ के राजस्व की अन्तर्गतता वाले कुछ मामले में देय प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया। हमने ये आपत्तियां नौ ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को बताई। मंत्रालय/आयुक्तालय ने पांच ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी और ₹ 41.79 लाख के राजस्व सहित इन सभी मामलों में उपचारी कार्यवाही प्रारम्भ की/पूरी की। इन पैराग्राफों के ब्यौरे परिशिष्ट V में उपलब्ध है। तीन ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों में मंत्रालय ने शामिल राजस्व की सीमा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की। एक ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफ में मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2013)।

विवरणियों की संवीक्षा

3.3 सीबीईसी ने 1996 में भुगतानयोग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का और 2001 में सेवा कर के लिए स्वनिर्धारण शुरू किया। स्वनिर्धारण शुरू करके विभाग ने विवरणियों/निर्धारणों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा और विरोधी-अपवंचन के माध्यम से एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी उपलब्ध कराया। अप्रत्यक्ष कर के टास्क फोर्स 2002 के प्रतिवेदन में दर्शाते हुए निर्धारणों की संवीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका में जैसा बताया गया है "यह मत है कि निर्धारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों का मुख्य कार्य होना चाहिए। करदाता द्वारा स्वनिर्धारण केवल एक सुविधा है और शुल्क भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित करने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के सांविधिक उत्तरदायित्व को कम नहीं किया जाना चाहिए/समझा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि लेखापरीक्षा और विरोधी-अपवंचन की अपनी-अपनी भूमिका है परन्तु निर्धारण या निर्धारण की पुष्टि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी बनी रहेगी।"

प्रारम्भिक/ब्यौरेवार संवीक्षा के निष्पादन न करने से शुल्क तथा ब्याज की वसूली न होना

3.4 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के सीबीईसी परिपत्र एफ.एन.224/37/2005-सीएक्स.6 (क्रम सं. 2.4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तिका, 2008 के पैरा 2.1ए(8) के अनुसार रेंजों को रेंज आफिस में निर्धारण की संवीक्षा हेतु एक संवीक्षा रजिस्टर का

रख-रखाव करना होता है (नियमपुस्तिका का अनुबंध 2.3)। इसके अतिरिक्त इस नियम-पुस्तिका के पैरा 2.1ए(9) के अनुसार प्रत्येक रेंज अधीक्षक को प्राप्त की गई और जांची गई विवरणियों की संख्या से सम्बन्धित रिपोर्ट डिवीजन के क्षेत्राधिकारिक सहायक/उपायुक्त को निर्धारित प्रोफार्म (अनुबन्ध 2.4) में अगले माह की 15 तक प्रस्तुत करनी होती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम-पुस्तिका के पैरा 1.1.2बी और 2.1ए(6) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम-पुस्तिका के पैरा 4.2ए के अनुसार एक तिमाही/मास के दौरान फाइल किये गये कुल विवरणियों के जो पांच प्रतिशत से अधिक न हो के एक लघु अनुपात और सेवाकर विवरणियों के मामले में कुल फाइल किये गए विवरणियों का लघु अनुपात, जो दो प्रतिशत से अधिक न हो की ब्यौरेवार संवीक्षा (नियम-पुस्तिका के अनुबन्ध 4.1 में उपलब्ध कराई गई जाँच सूची के अनुसार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रेंजों/सेवा कर समूहों द्वारा करनी अपेक्षित है। विवरणियों का चयन सभी विवरणियों पर लागू उद्देश्य जोखिम मापदण्डों (सम्बन्धित नियम-पुस्तिकाओं में उपलब्ध जाँच सूची के आधार पर हस्तगत रूप में) के आधार पर करना चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा ने औरंगाबाद आयुक्तालय की 8 रेंजों में वि.व. 08 तथा वि.व. 11 की अवधि के बीच संवीक्षा रजिस्टर का आंशिक रख-रखाव/गैर रख-रखाव पाया। हमने मण्डलीय अधिकारी को निर्धारित फार्मट आदि में विवरणियों की संवीक्षा की स्थिति पर (दोनों चरणों) में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के उदाहरणों की जाँच की। आयुक्तालय ने संवीक्षा रजिस्टर का उचित रख-रखाव और निर्धारित रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं किया। विवरणियों को निर्धारित जोखिम निर्धारण के अधीन नहीं लाया गया। परिणामतः प्राधिकारियों ने ब्यौरेवार संवीक्षा के लिए कोई विवरणियाँ नहीं चुनी यद्यपि नियम पुस्तिका में परिकल्पित थी।

3.6 औरंगाबाद आयुक्तालय में कुछ वित्तीय दस्तावेजों के साथ विवरणियों की यादृच्छिक संवीक्षा के द्वारा नमूना जांच से कुछ विसंगतियों का पता चला जिसने यह दर्शाया कि ब्यौरेवार संवीक्षा एक उपेक्षित कार्य था। उचित संवीक्षा के अभाव में अनियमितताओं के पता न लगाने के निम्नलिखित उदहारण हैं और दर्शाते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को सही ध्यान न देने में कितना जोखिम शामिल है।

क) औरंगाबाद आयुक्तालय में मैं. नेचुरल शुगर एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लि. ने 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 90.47 लाख, ₹ 10.08 लाख और ₹ 0.22 लाख की रक्षी माल बेची, परन्तु ऐसी निकासियों पर फाइल किये गये ईआर 1 पर भुगतान योग्य शुल्क दर्ज नहीं किया गया।

ख) मै. लोबार्डिनी इण्डिया प्रा. लि. ने बही खाता में बट्टे खाते में डाले गए 2007-08, 2009-10 और 2010-11 के दौरान ₹ 6.46 करोड़ की राशि वाली अप्रयुक्त वस्तुसूची के संदर्भ में सेनेवेट क्रेडिट वापिस नहीं किया।

3.7 जब हमने यह इंगित किया (नवम्बर 2011 और जनवरी 2012) तब मंत्रालय ने देयताओं की वसूली न होना और क्रेडिट का उलटाव न होने की सीमा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2013)। पहले मामले में, मंत्रालय ने सेनेवेट लेखे के माध्यम से ₹ 15.30 लाख के शुल्क

और उस पर ₹ 6.22 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की। बाद के मामलों में, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती ने बट्टे खाते में डाली गई पुरानी वर्स्टु -सूची पर ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि इन विसंगतियों के विषय में निर्धारिती के वित्तीय और अन्य अभिलेखों तक पहुँच के बिना पता नहीं लगाया जा सकता था, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा पर नियम-पुस्तिका 2008 के पैरा 4.4 (vi) के अनुसार यह कार्य संवीक्षा विवरणियों के नहीं अपितु आन्तरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत है।

3.8 हमने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई एसटी-3 और ईआर-1 विवरणियों के साथ वित्तीय अभिलेखों के सामान्य प्रति-सत्यापन द्वारा ये निष्कर्ष निकाले थे। एसटी-3 विवरणियों की ब्यौरेवार संवीक्षा के लिए निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों को मंगाने से संबंधित प्रावधान सेवाकर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका, 2009 में उपलब्ध है, तथापि ऐसे प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तिका 2008 में उपलब्ध नहीं है। तदनुसार मंत्रालय को राजस्व के हित में उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली में तारतम्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें उपयुक्तता की समीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा से संबंधित वर्तमान नियम-पुस्तिका प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता है तथा प्रचलित व्यवस्था हेतु अनुपालन की निगरानी में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि विभाग का प्राथमिक कार्य मूल्यांकन है तथा यह देय भुगतान की उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी का सांविधिक उत्तरदायित्व है।

मासिक आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सुविधा जब्त करने में विफलता

3.9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा के लिए नियमपुस्तिका के पैरा 2.1.1ए (19) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा करने वाले विभागीय अधिकारी को, ऐसे मामलों में जहाँ निर्धारिती ने देय तिथि से तीस दिनों के बाद शुल्क का भुगतान न किया हो, कार्रवाई करनी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 का नियम 8(3ए) अनुबंधित करता है कि यदि कोई निर्धारिती देय तिथि के तीस दिनों के बाद शुल्क के भुगतान में छूक करता है तो उसे प्रत्येक प्रेषित माल उठाते हुए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना उसको ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान के समय तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा कि ऐसे माल को शुल्क भुगतान के बिना मंजूरी दी गई और इन नियमों में प्रदान किए गए परिणामों और शास्तियों का पालन किया जाएगा।

3.10 पटना आयुक्तालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज फुलवारीशरीफ में लेखापरीक्षा के दौरान हमने एक निर्धारिती मै. गंगोत्री इलैक्ट्रोकार्सिंग्स लि., फुलवारीशरीफ, के ईआर-1 में पाया कि निर्धारिती ने जून 2008 के लिए अपनी शुल्क देयता का निर्धारण ₹ 77.10 लाख किया था। तथापि, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करते हुए ₹ 32.70 लाख का भुगतान न करके, केवल ₹ 44.40 लाख का भुगतान किया था। 06 अगस्त 2008 को भुगतान की देय तिथि (05 जुलाई 2008) के 32 दिनों के बाद, निर्धारिती ने जीएआर 7 चालानों के माध्यम से ₹ 27.21 लाख का भुगतान किया और ₹ 5.49 लाख अभी तक अप्रदत्त थे। निर्धारिती ने ब्याज

सहित बकाया राशि के शुल्क का भुगतान 05 दिसम्बर 2008 अर्थात् भुगतान के लिए देय तिथि के 162 दिनों के बाद किया।

3.11 इस प्रकार, निर्धारिती ने 05 अगस्त से 04 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 8(3ए) का उल्लंघन किया। निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना प्रेषण माल के आधार पर शुल्क का भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान ₹ 154.33 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जोकि अनियमित था और उसे 04 अगस्त 2008 के बाद संस्वीकृत माल शुल्क के भुगतान के बिना मंजूर हुआ समझा गया है और उपयोग किए गए सेनवेट, ब्याज और शास्ति के साथ, वसूली योग्य था।

3.12 2008-09 से 2009-10 की अवधि के लिए निर्धारिती की विवरणियों की संवीक्षा पर अधीक्षक ने, एक प्रति डिवीजनल अधिकारी को भेजते हुए, निर्धारिती का ध्यान नियम 8(3ए) के प्रावधान की ओर आकर्षित कराते हुए जून 2008 की बकाया राशि के बारे में लिखा। तथापि, उसने मासिक आधार पर शुल्क भुगतान की सुविधा को जब्त करने का कोई आदेश जारी नहीं किया था।

3.13 हमने इसे मई 2012 में इंगित किया। हमें आयुक्तालय और मंत्रालय से जवाब प्रतीक्षित है (मई 2013)।

सरकारी देय की वसूली के लिए नीलामीकर्ता की नियुक्ति न करना

3.14 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 अनुबंधित करती है कि शुल्क और अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को भुगतान योग्य राशि के संबंध में ऐसे शुल्क की उगाही संलग्न वस्तु द्वारा करने हेतु तथा ऐसे व्यक्तियों के उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री के लिए अधिकारी को सशक्त किया गया।

3.15 आयुक्त को अपेक्षित नियमों के पालन तथा पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा शुल्क/कर के भुगतान के अपवंचन को रोकने हेतु शुल्क/कर के प्रभावी प्रशासन के लिए नियंत्रण और निगरानी करनी होती है।

3.16 अहमदाबाद-II आयुक्तालय में अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि मै. मिनी टैक्सटाईल्स, नरोड़ा, अहमदाबाद की विभाग ने 23 जुलाई 1999 के मूल आदेश द्वारा परिसम्पत्तियों जैसाकि भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी को ₹ 3.58 करोड़ की वसूली के लिए जब्त कर लिया गया था। इकाई 2000 में बन्द हो गई। दिनांक 21 दिसम्बर 2000 और 04 जून 2001 के आदेशों के अनुसार निर्धारिती की परिसम्पत्तियां, अहमदाबाद के सहकारी बैंक की ओर से गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त विशेष वसूली अधिकारी द्वारा ले ली गई। कानूनी राय प्राप्त करने के बाद विभाग ने दीवानी कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी कोर्ट ने मुकदमें को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के प्रावधान के अन्तर्गत अपने देय की वसूली करने की शक्तियां हैं। उसके बाद, अक्टूबर 2008 से निर्धारिती की परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए आयुक्त, अहमदाबाद-I की सहभागित द्वारा नीलामीकर्ता की नियुक्ति हेतु किए गए कई पत्राचारों, का कोई परिणाम नहीं निकला। इसके

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

परिणामस्पर्ध चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी ₹ 3.58 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

3.17 जब हमने इसे इंगित किया (मई 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों में निर्दिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2013) और नीलामीकर्ता की नियुक्ति के लिए आयुक्तालय द्वारा किए गए उपायों की सूचना दी। मंत्रालय के जवाब ने पुष्टि की कि चार वर्षों के बाद भी नीलामीकर्ता नियुक्त नहीं किया गया था।

कॉल बुक की अप्रभावी समीक्षा

3.18 सीबीईसी के परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स, दिनांक 14 दिसम्बर 1995 के अनुसार वे मामले जो ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां कम से कम 6 महीने के लिए उनके निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है या किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कॉल बुक में स्थानांतरित किया जा सकता है। मामले जिनमें विभाग ने अपील की है, मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय आदि द्वारा आदेश जारी किया गया है, मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया गया है और मामले जहां बोर्ड ने इसे लम्बित रखने के लिए विशिष्टतया आदेश दिया है, को कॉल बुक में दर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कॉल बुक में लम्बित मामलों की मासिक समीक्षा के लिए आयुक्तों को निर्देश जारी किए जाते हैं।

3.19 मैंगलोर आयुक्तालय में कॉल बुक में लम्बित मामलों की समीक्षा से पता चला कि तो कॉल बुक में कुछ लंबित मामले या तो गलत तरीके से हस्तांतरण के थे या कॉल बुक से हटाने के लिए अतिदेय के थे।

क) पैट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य परिशोधन के आधार पर स्वैच्छा से दिए गए ₹ 1,169.00 लाख के विशिष्ट शुल्क पर ₹ 35.68 लाख के ब्याज की मांग करते हुए मैंगलोर आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी ने मै. मैंगलोर रिफाईनरी एप्ड पैट्रोकैमिकल्स लि. (एमआरपीएल) को एससीएन सं. IV/9/27/104/2006 दिनांक 20 सितम्बर 2006 जारी किया। आयुक्तालय ने मामला इस आधार पर काल-बुक में स्थानांतरित किया था कि मै. कृष्ण पाइप इण्डस्ट्रीज के मामले में जब शुल्क का भुगतान एससीएन जारी होने से पहले किया गया, ब्याज और शास्ति के देयता से संबंधित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े थे। तथापि हमने पाया कि जुलाई 2009 में आयुक्त बनाम एसकेएफ इण्डिया लि. के मामले में (2009-टीआईओएल-82 एससी-सीएक्स) धारा 11 एबी के अन्तर्गत ब्याज भुगतान के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तर शुल्क निश्चित किया गया था। इसी प्रकार, जब शुल्क एससीएन जारी होने से पहले दिया गया था तब न्यायालय ने उद्ग्रहण की जाने वाली शास्ति की राशि के प्रश्न को अगस्त 2008 में भारत संघ बनाम धर्मन्द्र टैक्सटाईल प्रोसेसर्स अन्य आदेशित मामले 2008 (231) ई.एल.टी 3(एस.सी.) के मामले में निर्धारित किया था। कॉल बुक में दिनांक 20 सितम्बर 2006 की एससीएन की अवरोधन से कॉल बुक मदों की समीक्षा हेतु तंत्र की अपर्याप्तता का संकेत मिलता है।

ख) जनवरी 2007 से अक्टूबर 2008 की अवधि के दौरान आयुक्तालय ने मै. एमआरपीएल, मैंगलोर को आठ आवधिक एससीएन जारी किए। इसमें सामान्य इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की उलटाव न करने पर कुल ₹ 73.22 लाख शामिल थे जोकि दिसम्बर 2005 से मार्च 2008 की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 (3) के अन्तर्गत दोनों शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त अन्तिम उत्पाद के लिए उपयोग किए गए थे। संबंधित अधिकारी ने मामले को कॉल-बुक में इस आधार पर स्थानांतरित किया कि उसी निर्धारिती के संबंध में एलएसएचएस पर शुल्क देयता के संबंध में विभाग की अपील कर्नाटक के उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित थी। तथापि, इन मामलों में शामिल मुद्दे, एक समान नहीं थे। ये मामले जनवरी 2012 में सीईआरए द्वारा लेखापरीक्षा के समय तक कॉल बुक में रहे।

3.20 जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2012), आयुक्तालय ने कहा (जुलाई 2012) कि मामले न्यायनिर्णयन के लिए अब कॉल बुक से निकाल लिए गए थे। तथापि मत्रांयल का जवाब, आयुक्तालय के जवाब से भिन्न था। मंत्रालय अपने जवाब में (मई 2013) दिनांक 20 सितम्बर 2006 की एससीएन मद संख्या IV/9/27/104/2006 के संदर्भ में गलत प्रविष्टियों के तथ्य को स्वीकार करता है परन्तु यह कहा कि 1 नवम्बर 2011 को आयुक्तों के साथ सीसी-मैसूर ज़ोन की बैठक में कॉल बुक की समीक्षा के पश्चात् दिनांक 3 फरवरी 2012 के आयुक्त के आदेश के अनुसार मामला कॉल बुक से हटाया गया। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि (क) कॉल बुक में स्थानांतरण गलत था, (ख) यदि दिनांक 03.01.2005 की उसकी डी.ओ.एफ संख्या 101/2/2003 सीएक्स-3 के अनुसार सदस्यों (सीएक्स) से निर्देशों के उल्लेख के रूप में कॉल बुक मदों की मासिक समीक्षा की व्यवस्था हो, के रूप में कॉल बुक मामलों के संदर्भ में मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के पत्र में महानिदेशक, निरीक्षण (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अनुपालन के साथ, मदों को कॉल बुक से कम से कम दो वर्ष पहले हटा दिया गया होता। अंतिम विद्युत उत्पाद से संबंधित 4 एससीएनज़ के संबंध में मंत्रालय के जवाब (मई 2013) का तर्क था कि कॉल बुक में रखना उच्चतम न्यायालय में लंबित मध्यवर्ती उत्पाद एलएसएचएस की उत्पादशुल्क योग्यता के संदर्भ में प्रेषण के कारण था। इसने बताया कि मामला शुल्क योग्य विनिर्माण तथा अंतिम उत्पादों की छूट हेतु सामान्य इनपुट को शामिल करते हुए सभी मामलों में अनुपातिक सेनवेट क्रेडिट के उत्क्रमण की अनुमति सेनवेट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के पूर्वव्यापी संशोधन के विचार में अप्रासंगिक हो गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि नियमों में यह परिवर्तन 1 मार्च 2011 से प्रभावी हुआ। तथापि, जोन ने मामले को केवल नवम्बर 2011 में प्रबंधित तथा विचार-विनिमयित किया, इसके बावजूद भी ये मदों सीईआरए लेखापरीक्षा तथा दिनांक 1 फरवरी 2012 की लेखापरीक्षा जांच के मामले के समय पर कॉल बुक में रही।

सेवा कर

3.21 हमने देखा कि ₹ 22.19 करोड़ के राजस्व वाले कुछ मामलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। हमने इन आपत्तियों को 28 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को प्रेषित किया। मंत्रालय/आयुक्तालय ने 12 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और ₹ 2.66 करोड़ के राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ/पूर्ण की। इन पैराग्राफों का ब्यौरा परिशिष्ट VI में उपलब्ध है। 14 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों में मंत्रालय ने शामिल राजस्व राशि तक लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। हम शेष दो ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के संदर्भ में मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा में है (मई 2013)।

कर आधार का विस्तार

3.22 राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कर आधार का विस्तार आवश्यक है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास के साथ उन व्यक्तियों को, जिन पर कर भुगतान की देयता है लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया था, उन्हें चिन्हित करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी एकत्र करने हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो गया है ताकि इससे कर आधार का विस्तार करके उन्हें कर के दायरे में लाया जा सके।

3.23 महानिदेशक, सेवा कर ने 26 मई 2003 को एक कार्ययोजना तैयार की और इसे मुख्य आयुक्तों में प्रचारित किया। योजना के अनुसार क्षेत्रीय इकाई को सूचना प्राप्त करने के लिए

(क) यैलो पेजों, सेवा प्रदाता संगठनों, समाचार पत्र विज्ञापनों, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकारों और इण्डिया मार्ट, कॉम. जैसी वैबसाईटों के अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं पर।

(ख) सम्पत्ति के बारे में बैंकों से जो - वास्तु कला संबंधी/परामर्शदात्री इंजीनियर सेवाओं को शामिल कर सकती है।

(ग) नगर निगम और प्रमुख निर्धारितियों, जिनमें पीएसयूज़ और निजी क्षेत्र संगठन शामिल हैं, द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं की सूचना लेना तथा उन्हें प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के पते सहित ब्यौरा प्राप्त करना।

(घ) मुख्य होटलों, सभागार, बैंकवेट हॉल, सम्मेलन हॉल से औपचारिक सेवाओं और कार्यक्रम प्रबन्धन सेवा प्रदाताओं के बारे में।

(ङ.) समझदारी से बाजार निरीक्षण करके।

(च) जानकारी एकत्रित करके और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों द्वारा।

3.24 सीबीईसी ने अपने दिनांक 23 नवम्बर 2011 के पत्र द्वारा संभावित निर्धारितियों की पहचान के लिए प्रत्येक आयुक्तालय में विशेष सेल बनाने के निर्देश जारी किए थे।

3.25 हमने रथानीय निकायों और राज्य की कम्पनियों/बोर्ड द्वारा पंजीकरण न करवाना और ₹ 12.86 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न होना पाया जिसका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है। हमने मंत्रालय को इन आपत्तियों के बारे में तीन ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से सूचित किया था।

पंजीकरण न होना और परिणामस्वरूप सेवाकर की अदायगी न होना

3.26 वित्त अधिनियम 2010 (1 जून 2007 से पूर्व प्रभावी) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति को किराए पर देना करयोग्य हो गया।

3.27 कालीकट आयुक्तालय की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि निश्चित रथानीय स्वशासित सरकारी संस्थान (एलएसजीआईज़े) जैसे नगर निगम और ग्राम पंचायत (जीपी) ने व्यवसायिक परिसरों और अन्य अचल सम्पत्तियों को पट्टे पर दिया था। तथापि, उन्होंने सेवाकर प्राधिकारियों से पंजीकरण नहीं लिया था और अपनी सेवा कर देयता पूरी नहीं किया था।

3.28 वित्तीय वर्ष 09-11 के वर्षों के लिए कालीकट आयुक्तालय की कन्नूर और कोज्हीकोड़े केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजनों के अन्तर्गत आने वाले एलएसजीआईज़े के वित्तीय लेखों की संवीक्षा से पता चला कि 25 यूनिटों ने सेवा कर विभाग के साथ पंजीकरण नहीं किया था। आयुक्तालय की निवारक यूनिट ने चार एलएसजीआईज़े के संबंध में मामले दर्ज किए थे। चेस्वथूर जीपी ने वि.व. 11 के दौरान पंजीकरण करवा लिया था और केवल ₹ 0.16 लाख के एसटी का भुगतान किया। इस प्रकार, यह सेवा देने के लिए एलएसजीआईज़े की बाकी 23 यूनिटें वि.व. 09-11 की अवधि के लिए ₹ 94.64 लाख के सेवा के भुगतान के लिए उत्तरदायी थीं।

3.29 जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2011), मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि पाँच मामलों में निर्धारिती की आय छूट सीमा से कम थी तथा पाँच मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने से पहले ही आयुक्तालय द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी; नौ मामलों में निर्धारिती पंजीकरण करवा चुके थे। सात मामलों में ₹ 56.70 लाख की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाकी के मामलों में, निर्धारिती को सेवा कर नेट के अन्तर्गत लाने के लिए आयुक्तालय कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पाँच में से चार मामलों में, जहाँ निर्धारिती की आय छूट सीमा के अन्तर्गत थी, निर्धारितियों को विभाग में स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ता है और छः मामलों में हमारी लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर निर्धारितियों ने ₹ 25.78 लाख की राशि का भुगतान किया था।

अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना

3.30 वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवाएं/आवासीय परिसर की निर्माण सेवा/निर्माण कार्य ठेका सेवाएं क्रमशः धारा 65(105) (जेडजेडक्यू), धारा 65(105) (जेडजेडजेडएच) और धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडए), वित्त अधिनियम 1994, के अन्तर्गत कर योग्य हैं।

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

3.31 हरियाणा पर्यटन कॉर्पोरेशन (एचटीसी) और आवासीय बोर्ड हरियाणा (एचबीएच) ने वि.व. 09-11 के दौरान पंचकुला आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन्नीस निर्माताओं को वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा, आवासीय परिसर की निर्माण सेवाएं और निर्माण कार्य ठेका सेवाएं के अन्तर्गत कर योग्य सेवा देने के लिए ₹ 2505.91 लाख का भुगतान किया। इस सूचना/भुगतान के विस्तृत विवरण का सेवा कर रेंज के सेवा कर रिकार्ड के साथ दोतरफा सम्बधता/संवीक्षा से यह भी पता चला कि ये सेवा प्रदाता उक्त सेवा के अन्तर्गत आयुक्तालय के साथ पंजीकृत नहीं थे और इन्होंने सेवा कर का दायित्व पूरा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप इन अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा (उपकर सहित) ₹ 91.68 लाख के सेवाकर का भुगतान नहीं हुआ जोकि वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73,75 और 76 के अन्तर्गत शास्ति और ब्याज सहित वसूली योग्य है।

3.32 जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2013) और बताया कि 14 मामलों में सेवा कर देय है। एक निर्धारिती ने सेवा कर और शास्ति के लिए ₹ 3.47 लाख जमा करवा दिए थे। 10 मामलों में ₹ 11.70 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे। हम आगे की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पंजीकरण के सत्यापन के बिना सेवा कर का अनुचित भुगतान

3.33 औरंगाबाद आयुक्तालय में आकस्मिक बिलों की नमूना संवीक्षा से पता चला कि आयुक्तालय ने पिछले श्रमिक और गृह व्यवस्था ठेके का उन्हीं शर्तों पर मासिक बिल की राशि पर आयुक्तालय द्वारा सेवा कर के भुगतान सहित 1 दिसम्बर 2008 से एक और वर्ष के लिए विस्तार किया। प्रारंभिक बिल, टेंडर फार्म समझौते और बाद में जारी बिल में सेवा कर की पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं था। मैसर्स सिद्धार्थ सर्विसेज ने दी गई सेवाओं के लिए आयुक्तालय से ₹ 1.67 लाख (अप्रैल 2009 के लिए प्रदत्त ₹ 13958 प्रति माह की दर से की गई गणना) का सेवा कर प्रभारित और संग्रहित किया। दिसम्बर 2008 से नवम्बर 2009 की अवधि के दौरान ₹ 16.26 लाख की सेवा (अप्रैल 2009 के लिए प्रदत्त ₹ 1.35 लाख प्रति माह की दर से की गई गणना) काम में लायी गया जोकि पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक था।

3.34 यद्यपि, ठेकेदार ने बीजक में पृथक राशि वसूली थी, तथापि आयुक्तालय ने श्रमशक्ति आपूर्ति सेवाओं के अन्तर्गत सेवाकर पंजीकरण के तथ्य को सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा, इसने सरकार के लेखे में सेवा कर का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया।

3.35 जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2011), मंत्रालय ने (फरवरी 2013) बताया कि सेवा प्रदाता विभाग में पंजीकृत था किन्तु उसने वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान एसटी-3 विवरणी नहीं भरी थी अतः यह सूचना छिपाने का मामला है। निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

3.36 मंत्रालय का उत्तर सरकार को देय राजस्व की पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने में व्यवस्था की अपर्याप्तता को दर्शाता है। वैधानिक उत्तरदायित्व विभागीय अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शुल्क/कर का सही तरीके से भुगतान किया जाए। ठेके को बढ़ाते समय आयुक्तालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारिती ने आयुक्तालय द्वारा पहले दी गई राशि सरकारी लेखा में पहले प्रेषित की थी।

विवरणियों की संवीक्षा

3.37 सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 2001 में सेवा कर के सम्बन्ध में स्व-निर्धारण प्रारंभ किया। स्व-निर्धारण के प्रारंभ होने के साथ ही विभाग ने तीन महत्वपूर्ण भागों - प्रतिदायों की संवीक्षा/निर्धारण लेखापरीक्षा और अपवंचन विरोधी के साथ सत्यापन तंत्र का एक ठोस अनुपालन का प्रावधान भी किया। अप्रत्यक्ष कर, 2002 पर टार्स्क फोर्स के प्रतिवेदन से निर्धारणों की संवीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई।

3.38 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 12(3) और सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 5ए के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विवरणी संवीक्षा नियमपुस्तिकाओं में दिए गए विवरणियों की संवीक्षा के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाए हैं। विवरणियों की संवीक्षा दो स्तरों में होनी है। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य शुल्क गणना की गणितीय सटीकता, पूर्णता (स्थायी खाता संख्या, मद का विवरण, यूनिट का पंजीकरण विवरण इत्यादि), सामयिकता (प्रतिदाय की समय पर प्रस्तुति और शुल्क का समय पर भुगतान) और स्टोप फाइलरों और नॉन फाइलरों की पहचान करना है। जोखिम मापदण्डों के आधार पर निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा निर्धारण का सही होना (वर्गीकरण, मूल्यांकन, और सेनेट ब्रेडिट का सही होना) सुनिश्चित करते हैं।

प्रारंभिक संवीक्षा

नियमपुस्तिका के प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण सेवा कर का कम भुगतान

3.39 सेवा कर विवरणी 2009 की संवीक्षा की नियमपुस्तिका के पैरा 1.2.1.1 के अनुसार, प्रारंभिक संवीक्षा का उद्देश्य समय से विवरणी की प्रस्तुति के साथ-साथ देयों का समय पर भुगतान और संगणित की गई राशि की गणितीय शुद्धता सुनिश्चित करना है। सेवा कर संवीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 1.2बी के अनुसार प्रारंभिक संवीक्षा सभी विवरणियों के संबंध में की जानी चाहिए। बोर्ड के दिनांक 15.07.2005 के परिपत्र संख्या 818/15/2005-सीएक्स अनुबंध करता है कि प्रारंभिक संवीक्षा विवरणी की प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के अन्दर पूरी कर ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के अनुसार धोखाधड़ी, विवाद, जानबूझकर गलत विवरण देना, तथ्यों को छुपाना आदि से संबंधित मामलों के अलावा एससीएन जारी करने के लिए निर्धारित समय संगत तिथि से एक वर्ष तक का है।

3.40 सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(1) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को कर योग्य सेवा उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक व्यक्ति

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

विशिष्ट दर पर और निर्धारित अवधि के भीतर सेवा कर का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 में सेवा कर के किसी विलम्बित भुगतान के लिए निर्धारिती को ब्याज का भुगतान अपेक्षित है।

3.41 कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय के अन्तर्गत डिवीजन II की रेंज XVII के अन्तर्गत एसटी-3 विवरणी की संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स आर.एस. इस्पात लि. ने दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011 की अवधि के लिए ₹ 11.40 लाख (उपकर सहित) की राशि के सेवा कर का कम भुगतान किया था। चूंकि रेंज ने विवरणियों की संवीक्षा अधिनियम में निर्धारित तरीके से नहीं की थी, उस चूक का पता नहीं लगा। जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (फरवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2013) और निर्धारिती को ₹ 14.78 लाख के लिए एससीएन जारी किए जाने की सूचना दी।

विस्तृत संवीक्षा

3.42 रेजों को निर्धारणों के सही होने (वर्गीकरण, मूल्यांकन और सेनवेट क्रेडिट लेने के सही होने) को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम मानदण्डों पर आधारित चयनित विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है। दिनांक 11 मई 2009 के बोर्ड के परिपत्र में अभिकल्पित है कि एसीईएस सेटअप के अन्तर्गत सिस्टम खत: ही चयन हेतु आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए जोखिम के अवरोही क्रम में विवरणियों को सूचीबद्ध कर देगा। सेवा कर संवीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 4.3.3ए और केन्द्रीय उत्पादशुल्क संवीक्षा नियमपुस्तिका के पैरा 4.1बी के अनुसार रेंज अधिकारियों द्वारा संवीक्षा किए जाने वाले विवरणियों की सूची को अन्तिम रूप देने का उत्तरदायित्व क्षेत्राधिकारी संयुक्त आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त का है। तथापि, एसीईएस के लागू होने तक रेंज की हस्तगत विस्तृत संवीक्षा करने के लिए विवरणियों का चयन हाथ से करना होगा (सेवा कर संवीक्षा नियमपुस्तिका का पैरा 2.3ए और अनुबंध 2.2 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमपुस्तिका का पैरा 2.1 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संवीक्षा नियमपुस्तिका का अनुबंध 2.2)।

3.43 हमने देखा कि कुछ आयुक्तालयों में सहायक कार्यालयों ने विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी जैसा कि संवीक्षा नियमावली में उल्लिखित है। तथापि, हमने विस्तृत संवीक्षा करने की कोशिश की और इन आयुक्तालयों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाईं।

छूट की गलत प्राप्ति

3.44 दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 01/2006/एसटी कुछ शर्तों के साथ विभिन्न सेवाओं पर लगने योग्य सेवा कर की कुछ प्रतिशतता की छूट निर्धारित करती है। यह अधिसूचना तब लागू नहीं होती जब इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का शुल्क या पूँजीगत माल या ऐसी कर योग्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग की गई इनपुट सेवाओं पर सेवा कर का लाभ सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अन्तर्गत लिया गया है।

3.45 हमने पाया कि मण्डप कीपर, सम्मेलन सेवाओं, केबल आपरेटर की सेवाओं और इवेंट मैनेजमैन्ट की सेवाओं आदि के लिए पंजीकृत सेवा कर रेंज, उदयपुर के एक निर्धारिती मै. श्री

निवास पैलेस, सिटी पैलेस, उदयपुर दिनांक 01.03.2006 की अधिसूचना 1/2006-एसटी का लाभ उठा रहा था और कम दर पर सेवा कर का भुगतान कर रहा था। यद्यपि निर्धारिती इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इनपुट सेवाओं के सेनेट क्रेडिट का उपयोग भी कर रहा था, इसलिए यह सेवा कर की कमी के लिए पात्र नहीं था। वि.व. 08-10 की अवधि के दौरान ₹ 26.10 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

3.46 जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि निर्धारिती को ₹ 35.10 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था तथा निर्धारिती ने ₹ 24.77 लाख राशि की पूरी सेनेट क्रेडिट लौटा दी थी। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारिती द्वारा एसीईएस पर सेवा-कर रिटर्न की ई-फाईलिंग अनिवार्य कर दी गई थी। निर्धारिती एसीईएस के माध्यम से रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करते हैं और विभागीय अधिकारी केवल ऑनलाइन संवीक्षा करते हैं। इस प्रकार, जोखिम मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए एक रिटर्न का इसी के पिछले रिटर्न के आँकड़ों से मिलान करना अव्यवहारिक हो जाता है। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विचाराधीन रिटर्न एसीईएस से पूर्व अवधि से संबंधित है।

3.47 इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने निम्नवत देखा,

3.48 यद्यपि एसीईएस के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना अक्टूबर 2011 से अनिवार्य हो गया है, एसीईएस वर्तमान में आयुक्तालयों को विस्तृत संवीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए रिटर्न के चुनाव के लिए रिटर्न को जोखिम के घटते क्रम में स्वचालित रूप से सूचीबद्ध नहीं करता है, जैसा कि नियमावली में परिकल्पना की गई थी। हालांकि नियमावली में विभाग का अनुदेश विद्यमान है कि जब तक एसीईएस लागू नहीं किया जाता है, रिटर्न का चयन जोखिम मापदण्डों जैसे कि रिटर्न में पिछले वर्ष के आँकड़ों के साथ मिलान करना (संवीक्षा नियमावली का पैरा 2.3 तथा अनुबंध 2.2) के आधार पर परम्परागत तरीके से किया जाना है।

3.49 एसीईएस में ऐसी सुविधा के समावेश को लम्बित रहने से एवं चूंकि मंत्रालय ने स्वयं यह महसूस किया कि निकटवर्ती वर्षों में दाखिल रिटर्न के बीच मिलान अव्यवहारिक है, विभाग सभी शाखा कार्यालयों को अंतरिम अवधि में विस्तृत संवीक्षा के लिए रिटर्न के चयन हेतु ध्यान में रखे जाने वाले मापदण्डों को स्पष्ट करे। यह आवश्यक है ताकि संवीक्षा एवं आकलन के मुख्य कार्य के माध्यम से पूरा किये जाने वाला वांछित उद्देश्य कम न हो जाए।

सेवाकर का भुगतान न होना/कम होना

3.50 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडजे) ऐसी मशीनरी, उपकरणों और सामानों के प्रभावी नियंत्रण एवं स्वामित्व के अधिकार को हस्तांतरित किये बिना उपयोग हेतु मशीनरी, उपकरणों तथा सामानों सहित ठोस वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा को "ठोस वस्तु सेवा की आपूर्ति" के रूप में परिभाषित करती है।

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

3.51 वडोदरा-I आयुक्तालय के सेवाकर प्रभाग (प्रभाग- III) के तहत रेंज-VIII में मै. आईओटी अन्वेषा इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने वि.व. 11 में उपकरणों के किराया प्रभार स ₹ 3.25 करोड़ की आय दर्शाई। लेखापरीक्षित होने वाले लेखाओं के अनुसूची 19 पर टिप्पणियों के क्रमांक 10(बी) से देखा गया कि अधिकार और नियंत्रण के स्वामित्व के स्थानान्तरण के बिना निर्धारिती ने होल्डिंग कम्पनी मै. आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को उपकरण उधार दिया। निर्धारिती इस प्रकार "ठोस वस्तुओं की आपूर्ति" सेवा के तहत स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए उत्तरदायी था और ₹ 33.49 लाख के सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी था।

3.52 जब हमने इसे बताया (नवम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया (दिसम्बर 2012) कि निर्धारिती ने कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ₹ 33.49 लाख के सेवाकर तथा ₹ 5.74 लाख ब्याज का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कमिशनरी बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार एसटी-3 रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा तथा चुनिंदा आधार पर स्थानीय लेखापरीक्षा करता है। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेंज ने रिटर्न एवं दस्तावेजीकरण के चुनाव के द्वारा विस्तृत संवीक्षा, जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है, नहीं की थी।

3.53 जहाँ एक व्यक्ति जिस पर सेवा कर देय हो, कर अथवा उसका कोई भी हिस्सा निर्धारित समय-सीमा में अदा करने में विफल हो जाता है तो उसे अधिनियम की धारा 75 के तहत चूक की अवधि के लिए निर्धारित प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कम भुगतान की गई राशि का भुगतान करना पड़ता है।

3.54 वडोदरा- I आयुक्तालय के सेवाकर प्रभाग (प्रभाग-III) के तहत रेंज VIII में मै. एसिओ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 11 में लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 27.50 करोड़ तक की सकल कारोबार आय (बिक्री आय) दर्शायी थी। वास्तविक बिक्री आय फुटकर देनदारों तथा करों का सकल ₹ 21.05 करोड़ बनी। हालांकि वित्तीय वर्ष 11 से संबंधित एसटी -3 रिटर्न में आय केवल ₹18.18 करोड़ ही दर्शायी गई थी। इस प्रकार, निर्धारिती ने ₹ 2.87 करोड़ की कम आय दर्शायी थी जिस पर ₹ 11.83 लाख का सेवाकर देय था जो ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

3.55 इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने 26 नवम्बर 2009 को कार्य ठेके के प्रति ₹ 3.07 करोड़ तथा 31 मार्च 2009 को ₹ 2.64 करोड़ स्थापना अग्रिम में प्राप्ति की थी। निर्धारिती ने सेवाकर का भुगतान आर.ए.बिल की तैयारी के समय किया था न कि अग्रिम की प्राप्ति के समय। इस प्रकार निर्धारिती ₹ 2.33 लाख के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

3.56 जब हमने यह बताया (नवम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2012) तथा बताया कि कारण बताओ ज्ञापन जारी करने से पहले ही निर्धारिती ने ₹ 11.83 लाख का सेवा कर तथा ₹ 4.02 लाख के ब्याज का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि आयुक्तालय बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार एसटी-3 रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा तथा चुनिंदा आधार पर स्थानीय लेखापरीक्षा करता है। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेंज ने रिटर्न एवं दस्तावेजीकरण के चुनाव के द्वारा जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है, विस्तृत संवीक्षा नहीं की।

सेवाओं के आयात के संबंध में सेवा कर का भुगतान ना करना

3.57 सेवाकर नियमावली, 1994 का नियम 2(1)(जी) (iv) निर्धारित कराता है कि एक व्यक्ति द्वारा जो कि गैर प्रवासी या भारत से बाहर का है और भारत में उसका कार्यालय नहीं है, उपलब्ध कराई गई कर योग्य सेवा के संबंध में भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

3.58 मंगलौर आयुक्तालय के उडुपी रेन्ज में मै. एमसीटी कार्डस एण्ड टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड, मनिपाल के एसटी-3 रिटर्न तथा ईआर्स-1 की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 09 में तकनीकी सेवा तथा स्थापन प्रभार के प्रति मै. राबर्ट बर्कलेगम्ब जर्मनी को ₹ 61.71 लाख का भुगतान किया था। हालांकि, निर्धारिती ने ₹ 7.63 लाख के अपेक्षित सेवाकर तथा उस पर उपकर का भुगतान नहीं किया।

3.59 जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अंशतः स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 7.63 लाख के सेवाकर तथा उपकर का ₹ 2.93 लाख के ब्याज सहित भुगतान कर दिया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि दिनांक 23 अप्रैल 2009 के बोर्ड के परिपत्र सं. 113/07/2009-एसटी के अनुसार मै. एमसीटी कार्ड टेक्नॉलाजीज़ लिमिटेड, मनिपाल एसटी-3 रिटर्न की विस्तृत संवीक्षा के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि संबंधित अवधि के लिए उसका कुल सेवा कर राजस्व निर्धारित सीमा से कम है। यद्यपि, क्योंकि रेंज ने कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है, उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

3.60 हमने देखा कि औरंगाबाद आयुक्तालय में, 2008 से 2011 के बीच की अवधि के लिए अधीनस्थ रेंज ने रिटर्न का चयन और विस्तृत संवीक्षा नहीं की, जैसा कि नियमावली में उल्लिखित है। हमने सेवाकर प्रभाग और जालना रेंज (नांदेड़ प्रभाग) में वित्तीय दस्तावेजों के सहित रिटर्न की नमूना जाँच की और तमाम ऐसी कमियां देखी जिसके यह संकेत मिला कि विस्तृत संवीक्षा एक उपेक्षित क्षेत्र था। अवलोकनों में ऐसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की प्राथमिकता और ध्यान न देने से होने वाली जोखिम का पता चला। हमने सात निर्धारितियों से संबंधित गैर-अनुपालन के 12 उदाहरण देखे जो यदि विस्तृत संवीक्षा की गई होती तो पता चल जाते। निम्नलिखित दो विस्तृत उदाहरणों में ₹ 13.90 लाख की वसूली शामिल थी।

क) एसटी प्रभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मै. लोम्बार्डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आई पीआर सेवाओं के तहत मूल कंपनी को रॉयल्टी भुगतान के प्रति 31 मार्च 2010 तथा 31 दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 1.17 करोड़ तथा ₹ 3.64 करोड़ का प्रावधान किया था। पहले मामले के संदर्भ में निर्धारिती ने कोई सेवा कर नहीं अदा किया। दूसरे उदाहरण में सेवाकर के भुगतान में देरी हुई (मार्च 2011)। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के साथ

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

पठित दिनांक 10 मई 2008 की अधिसूचना सं. 19/2008 एसटी के प्रावधान को देखते हुए सेवाकर के विलम्बित भुगतान पर सेवाकर /ब्याज की गैर-उगाही वसूली योग्य थी।

- ख) जालना रेंज के तहत मै. स्टोरेल कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स ने वित्तीय वर्ष 09-11 में परिवहन सेवाएं ली और दिनांक 3 दिसम्बर 2004 की अधिसूचना 35/2004 जो बताती है कि माल प्रेषक/प्रेषिती द्वारा भाड़े के प्रति किए जाने वाले भुगतान कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था, के आदेशानुसार जीटीए सेवाओं पर सेवाकर का भुगतान करना था। हालांकि निर्धारिती ने स्वयं को न तो पंजीकृत करवाया जैसा कि नियमों द्वारा अपेक्षित था एवं ना ही सेवा कर की देय राशि का भुगतान किया था।

3.61 जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2011 से जनवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2012) तथा पहले मामले में ₹ 12.07 लाख का सेवा कर तथा ब्याज के प्रति ₹ 7.56 लाख की वसूली की सूचना दी। विभाग ने दूसरे सेवा प्रदाता के संबंध में ₹ 4.38 लाख तथा ₹ 1.68 लाख के ब्याज की वसूली की। इसने सेवाकर तथा ब्याज की शेष राशि के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। विस्तृत संवीक्षा का आयोजन न करने के मुद्दे पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि दोनों मामले तथ्य छुपाने के हैं; एसटी-3 रिटर्न्स में धनराशि दर्शायी नहीं गई थी। विस्तृत संवीक्षा एसटी-3/ईआर-1 रिटर्न्स में घोषित तथ्यों पर की जाती है। चूंकि निर्धारिती ने इन तथ्यों को छिपा लिया था, विस्तृत संवीक्षा में ऐसी अभियुक्तियों का पता नहीं चलता। इसके बावजूद भी विभाग/आयुक्तालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित रूप से निदेश दिया था तथा साथ-साथ इस संबंध में अनुदेश जारी किए। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसटी-3 रिटर्न्स के क्रम संख्या बी2 की विस्तृत मैनुअल संवीक्षा के लिए जाँचसूची के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना था कि विपरीत प्रभार पद्धति के अंतर्गत वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए के संदर्भ में शुल्क देयता भारत से बाहर स्थित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सेवाओं के संबंध में पूरी कर दी गई है।

सेनेट क्रेडिट का समर्याप्त लाभ उठाना तथा उपयोग करना

3.62 सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(4) के परन्तुक के अनुसार, सेनेट क्रेडिट किन्हीं दी गई आउटपुट सेवाओं पर सेवाकर के भुगतान हेतु उपयोग की जा सकती है। हालांकि, ऐसे उपयोग महीने या तिमाही के आखिरी दिन जैसा भी मामला हो, पर क्रेडिट की उपलब्धता पर ही अनुमत है।

3.63 जयपुर-II आयुक्तालय के तहत सेवाकर रेंज, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि मै. यूएन ऑटोमोबाइल्स प्रा. लिमिटेड उदयपुर ने सितम्बर 2006, मार्च 2007, सितम्बर 2007, तथा मार्च 2008 को समाप्त छमाही के लिए विलम्ब से अपना सेवाकर रिटर्न्स दाखिल किया। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जबकि निर्धारिती के पास महीने के अंत (वि.व.07 तथा वि.व. 08 के दौरान) में सेनेट क्रेडिट लेखा में पर्याप्त शेष नहीं था, निर्धारिती ने सेवाकर देयता को पूरा करने के लिए अनुवर्ती संग्रहीत सेनेट क्रेडिट का उपयोग किया। निर्धारिती ने गलत

तरीके से ₹ 14.80 लाख (उपकर सहित) के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जाने की आवश्यकता है।

3.64 जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने ₹ 8.68 लाख के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणी को इस आधार पर अंशतः स्वीकार किया (फरवरी 2013) कि ₹ 6.13 लाख की सेनवेट क्रेडिट निर्धारिति द्वारा नवम्बर 2006 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान अर्जित किया गया था, इसलिए निर्धारिति इस क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार था। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि निर्धारिति ने ₹ 1.19 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.54 लाख की राशि का सेवाकर भी जमा कर दिया था। नवम्बर 2006 से मार्च 2008 की अवधि से संबंधित सेनवेट क्रेडिट के संबंध में मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपत्ति उपयोग हेतु सेनवेट क्रेडिट की हकदारी से संबंधित नहीं बल्कि सेवाकर के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का उपयोग तथा समयपूर्व लाभ लेने से सेवाकर के कम भुगतान से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, सेवाकर नियमावली 1994 के नियम 7बी में मूल रिटर्न दाखिल करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर गलती या चूक सुधारने के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है लेकिन निर्धारिति ने इस सुविधा का उपयोग नहीं किया। निर्धारित द्वारा समयसीमा के भीतर संशोधित रिटर्न जमा किए बिना स्वप्रेरणा के आधार पर सेनवेट क्रेडिट समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार ₹ 14.80 लाख राशि के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित उपयोग हुआ तथा ब्याज सहित ₹ 14.80 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

शुल्कयोग्य तथा छूटप्राप्त उत्पादों के लिए अलग-अलग खाता न बनाना

3.65 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि अलग-अलग खाता न बनाने पर एक निर्माता निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करेगा, (i) सामग्री निर्माता छूटप्राप्त सामान के मूल्य दस प्रतिशत/पाँच प्रतिशत (7 जुलाई 2009 से प्रभावी) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा (ii) माल का निर्माता उपनियम (3ए) में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अध्यधीन छूट प्राप्त माल के निर्माण अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अथवा उपयोग में लाई गई इनपुट सेवाओं और इनपुट के लिए आरोपित सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

3.66 रायपुर आयुक्तालय में दुर्ग रेंज प्रभाग II, भिलाई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अध्याय 27 के तहत बिजली तथा अध्याय 72 के तहत स्पंज आयरन के निर्माण/उत्पादन में संलग्न मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दुर्ग के ईआर-1 रिटर्न्स की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने अपने अंतिम उत्पाद के निर्माण हेतु आंशिक रूप से (अर्थात् 24 प्रतिशत) बिजली का उपयोग किया। निर्धारिति ने 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान क्रमशः ₹ 8.24 करोड़ तथा ₹ 1.24 करोड़ के लिए शुल्क की शून्य दर पर छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) को शेष (अर्थात् 76 प्रतिशत) बेच दिया। निर्धारिति ने प्राप्त इनपुट व इनपुट सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा सेवाकर दोनों क्रेडिट का लाभ लिया। सेनवेट खाता रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने प्राप्त इनपुट पर लाभ लिए गए शुल्क इनपुट के क्रेडिट को समानुपातिक रूप से वापिस दिया किन्तु प्राप्त इनपुट सेवाओं

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

पर लिए गए सेवा कर के क्रेडिट को समानुपातिक रूप से नहीं वापिस किया। उपरोक्त अवधि के दौरान, निर्धारिती ने बिजली डिवीजन द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं (अर्थात् मरम्मत तथा अनुरक्षण, सफाई सेवाएं, हाउसकीपिंग तथा कार्गो हैंडलिंग) पर क्रमशः ₹ 4.72 लाख तथा ₹ 5.88 लाख तक के सेवाकर क्रेडिट का लाभ लिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि शुल्क की शून्य दर पर सीएसईबी को बिजली की बिक्री के प्रति सेवाकर क्रेडिट की वापिसी नहीं हुई। यह ₹ 8.05 लाख (उपरोक्त अवधि के दौरान बिजली डिवीजन में प्राप्त और प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर प्राप्त कुल क्रेडिट के 76 प्रतिशत के बराबर) तक का था जो ₹1.02 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

3.67 जब हमने इसे बताया (मई 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और कहा कि निर्धारिती को ब्याज और शास्ति के साथ-साथ ₹ 1.48 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया था। रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा न किये जाने के संबंध में, मंत्रालय ने सभी कार्यालयों को चूकों से बचने के लिए विस्तृत संवीक्षा पर निदेशों को निष्ठापूर्वक अपनाने के आदेश जारी किये जाने की पुष्टि की।

3.68 इन आयुक्तालयों में विस्तृत संवीक्षा न होने के परिणामस्वरूप अनुपालन सत्यापन प्रणाली का यह महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर हो गया। निर्धारितियों को स्वयं निर्धारण की सुविधा प्रदान करते हुए बोर्ड ने जो परिकल्पित किया था, यह उसके अनुरूप नहीं था।

3.69 लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि यदि आयुक्तालय में निम्नवत की निगरानी/सुनिश्चितता के लिए कोई तंत्र होता

क) संवीक्षा नियमावली की परिकल्पना के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त द्वारा रिटर्नों का चयन और

ख) रेंजों द्वारा निर्धारण की संवीक्षा के वास्तविक आयोजन का दस्तावेजीकरण निर्धारित प्रारूप के अनुसार किया गया (संवीक्षा नियमावली के अनुबंध 4.3 में शामिल पैरा सं. 4.3.2), सरकारी राजस्व को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कमियों से बचा जा सकता था।

3.70 यह भी देखा गया था कि रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा हेतु एसीईएस द्वारा रिटर्नों का स्वतः चयन अब तक भी प्रभावी नहीं हुआ था, महानिदेशक, सिस्टम नई दिल्ली का सभी आयुक्तालयों को दिया गया स्पष्टीकरण (मार्च 2011) आज तक भी लागू है कि जब तक स्वतः चयन परिचालनात्मक नहीं हो जाता, छोटे जोखिम मापदंडों का आकलन जैसा अभी हो रहा है हाथों से होगा।

3.71 प्रारंभिक/विस्तृत संवीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तताओं को देखते हुए विभाग आयुक्तों/डिवीजन द्वारा अनुपालन की निगरानी हेतु प्रतिशतता समीक्षा के तंत्र को आरंभ करने के बारे में विचार करे।

3.72 उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सीबीईसी संवीक्षा नियमावली में प्रावधानों को लाने पर विचार करे जिससे यह अनिवार्य किया जाए कि विस्तृत संवीक्षा

के दौरान, रेंज कुछ पहलुओं जैसे निर्धारिती को अन्य सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं को भी देखें (परिशिष्ट VI, क्रम सं. 7 एवं 10)।

आंतरिक लेखापरीक्षा

3.73 विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारित नियम और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु जोखिम मापदंडों और निर्धारिती के दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर निर्धारिती इकाईयों के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा निर्धारिती परिसर में लेखापरीक्षा करती है, आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर नियमों के अंतर्गत निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे रिकॉर्ड तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त है। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बैंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात इकाईयों सहित लेखापरीक्षा आयुक्तालयों (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते हैं) और सभी लेखापरीक्षा मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, निरीक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी आयुक्तालयों में एक लेखापरीक्षा सैल होता है जो सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होता है और अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त इसकी अध्यक्षता करते हैं तथा यह सैल लेखापरीक्षा योजना को तैयार करता है, समन्वय स्थापित करता है और उस पर निगरानी रखता है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल हैं, द्वारा यह लेखापरीक्षा की जाती है।

3.74 हमने विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा सैल द्वारा निर्धारितियों की चयन प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा वास्तव में की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को जांचने के प्रयास हेतु, आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पहले से ही लेखापरीक्षित कुछ निर्धारितियों या लेखापरीक्षा हेतु देय परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित ना किए गए कुछ निर्धारितियों की लेखापरीक्षा की। हमने ₹ 3.24 करोड़ के सेवा कर वाले कुछ मामले पाए जिनका विवरण निम्नवत पैराग्राफों में दिया गया है। हमने ये निष्कर्ष तीन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को भेज दिए।

छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित सेनवेट क्रेडिट की वापसी न करना

3.75 डैस्क समीक्षा और लेखापरीक्षा की योजना की तैयारी से संबंधित केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा को माल के अल्प मूल्यांकन को बताना होता है और परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पादशुल्क की कम उगाही को बताना होता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली के अनुबंध सी के साथ पठित पैरा 10.4.13 अभिकल्पित करता है कि यह निर्धारित करने के लिए कि आंतरिक लेखापरीक्षक लाभ और हानि लेखे में दर्शाये गई विक्रय की संवीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करेगा कि क्या माल के व्यापार पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए कि लाभ और हानि लेखे के आंकड़ों के साथ ईआर -4 रिटर्नों के तुलनात्मक विश्लेषण हेतु अनुबंध एम में

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

अनुबंध के अनुसार विस्तृत सत्यापन करना सुनिश्चित करने के लिए की जानी है कि क्या ईआर-4 रिटर्न में दी गई सूचना का वित्तीय अभिलेखों से मिलान हुआ है।

3.76 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004, के नियम-6 में वर्णन है कि सेनवेट क्रेडिट इनपुट की ऐसी मात्रा या इनपुट सेवा पर प्राप्त नहीं होता जिसे छूट प्राप्त माल के निर्माण में या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान हेतु उपयोग किया गया है। नियम 2(ई) के अनुसार, "छूट प्राप्त सेवाओं" का अर्थ है करयोग्य सेवाएं जो उगाही योग्य सेवा कर से पूर्णरूपेण छूट प्राप्त है और वे सेवाएं शामिल हैं जिन पर वित्त अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत कोई सेवा कर उगाही योग्य नहीं है। दिनांक 1 अप्रैल 2011 की अधिसूचना सं. 3/2011 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) यह भी स्पष्ट करती है कि "छूट प्राप्त सेवाओं में व्यापार शामिल है। दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र सं. 943/04/2011-सीएक्स के अनुसार, बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार प्रक्रिया एक छूट प्राप्त सेवा है और इसलिए, व्यापार प्रक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त किसी इनपुट या ली गई सेवा का क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2008 से पहले समान इनपुट्स का क्रेडिट और इनपुट सेवायें प्राप्त की जा सकती थीं जो विद्यमान नियमों में उपलब्ध कराई गई कुल देयता के 20 प्रतिशत तक क्रेडिट उपयोग की सीमा के अध्यधीन था।

3.77 औरंगाबाद आयुक्तालय में, सीईटीए के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले कर योग्य माल के निर्माण में लगे मै. स्कोडा आटो इंडिया प्रा. लिमिटेड ने वि.व. 11 में ₹ 3 करोड़ से अधिक का उत्पाद शुल्क अदा किया। आंतरिक लेखापरीक्षा ने फरवरी 2011 में लेखा परीक्षा की। तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा पाई कि निर्धारिती विभिन्न सामान्य इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर के 100 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने के योग्य नहीं था क्योंकि यह व्यापारिक प्रक्रियाओं में शामिल था। निर्धारिती ने वि.व 09-11 के व्यापारिक टर्न ओवर के अनुपात पर आधारित व्यापारिक गतिविधियों के कारण प्राप्त सेनवेट क्रेडिट के बराबर संगणित ₹ 2.47 करोड़ की राशि की वापसी नहीं की थी। इसलिए वह व्याज सहित वसूली योग्य थी।

3.78 जब हमने इसे बताया (अगस्त 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और सूचित किया कि मै. स्कोडा आटो इंडिया प्रा. लिमिटेड को ₹ 2.47 करोड़ की राशि का एक कारण बताओ ज्ञापन जारी किया था। आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा पता न लगाने के संबंध में, इन्होंने आगे कहा कि यह तथ्यों के छिपाने का मामला है। यद्यपि, सीबीईसी द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र सं. 743/04/2011 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था, हालांकि लेखापरीक्षाएं अप्रैल 2011 से पहले ही की जा चुकी थीं। इसलिए, यह स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा दलों के संज्ञान में नहीं था। चूंकि मामला व्याख्यात्मक प्रकृति का था, आंतरिक लेखापरीक्षा दल की गलती नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम सेनवेट क्रेडिट के उपयोग को केवल उन इनपुट सेवा को परिकल्पित करते हैं जो करयोग्य आउटपुट सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग की गई हो या कर योग्य माल जहां माल का व्यापार कभी कर योग्य सेवा नहीं थी। चूंकि छूट प्राप्त सेवाओं में वे सेवाएं शामिल हैं जिन पर वित्त अधिनियम, की धारा 66 के अन्तर्गत कोई सेवा कर उद्ग्राह्य

नहीं है, "ट्रेडिंग" सेनेट क्रेडिट नियमावली के अन्तर्गत छूट प्राप्त सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। नियम स्थिति में दर्शाए गए परिपत्र के जारी होने से कोई परिवर्तन नहीं आया था।

छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित सेनेट क्रेडिट की वापसी न होना

3.79 सेवा कर लेखा परीक्षा नियमपुस्तिका, 2003 के पैरा 7.2.4.3 (बी) के अनुसार, डैरक समीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा करदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जांच अन्य दस्तावेजों जैसे ट्रायल बैलेन्स, वार्षिक लेखे, लैजर आदि के साथ सामंजस्य हेतु करनी चाहिए और उस राशि जो सेवा कर से छूट गई हो, की पहचान के उद्देश्य से प्रारंभिक सामंजस्य बैठाना चाहिए। पैराग्राफ 7.2.3.2 के अनुसार, करदाता द्वारा क्रेडिट उपयोग का सत्यापन करते समय आंतरिक लेखापरीक्षक मुख्य इनपुट सेवाओं की पावतियों/अधिप्राप्तियों के संबंध में दस्तावेजों की जांच कर सकता है। छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में इनपुट सेवाओं के उपयोग की जांच अध्याय 7 के अनुबंध डी में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध मदों में से एक है। सेवाकर लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु जांचसूची (अनुबंध ई) यह दर्शाती है कि इस बात पर प्रतिबंध लगाये जाने चाहिए कि क्या इनपुट क्रेडिट केवल सेवाओं और उस माल के संबंध में है जो वास्तव में करयोग्य आउटपुट सेवा के संबंध में प्रयुक्त हुआ है या उनके लिए भी जो पूर्णतः छूट प्राप्त हैं या कर रहित हैं। नियमावली में यह प्रावधान सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार प्रभावी है कि सेनेट क्रेडिट इनपुट या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं है जो छूट प्राप्त माल के निर्माण में या नियम 2(ई) में परिभाषित छूट प्राप्त सेवा के प्रावधान हेतु उपयोग की गई है।

3.80 सेवाकर I आयुक्तालय मुम्बई में हमने अनिवार्य लेखापरीक्षा योग्य 7 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जो वि.व 11 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों में शामिल थी। मै. बी.जे सर्विसेज़ कम्पनी मिडल ईस्ट, जिसने खनिज, तेल अथवा गैस के खनन की छूट प्राप्त सेवाओं के साथ-साथ देय शुल्क उपलब्ध कराया, वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित एक अनिवार्य इकाई है क्योंकि यह प्रति वर्ष ₹ 50 लाख से अधिक सेवा कर अदा कर रही थी। निर्धारिती ने निर्दिष्ट क्षेत्र अर्थात् कांटीनैटल शैल्फ और दिनांक 01/03/02 की अधिसूचना सं. 1/2002 एसटी में संदर्भित भारत के एकमात्र आर्थिक जोन से अलग क्षेत्र में खनन सेवाएं प्रदान की। निर्धारिती ने निर्दिष्ट क्षेत्र में मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर सेवा कर अदा नहीं किया, जबकि सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के प्रावधानों के प्रति छूट प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में प्राप्त और प्रयुक्त सेवाओं पर जून 2008 से अप्रैल 2010 की समयावधि हेतु ₹ 18.24 लाख की इनपुट सेवा पर क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(4) और दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना 3/2011 में उद्घत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारिती ने वि.व. 10-11 की समयावधि की व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में ₹ 4.83 लाख का माल परिवहन एजेंसी की इनपुट सेवाओं पर सेनेट क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त/प्रयुक्त किया।

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

3.81 हमने पाया कि हालांकि इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा वि.व.11 में आयोजित की गई (31 मार्च 2009 तक) इस तथ्य के बावजूद कि यह पहलू निर्धारित मानक प्रतिबंधों का भाग था इसके द्वारा डेस्क समीक्षा या वास्तविक लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे मामलों की जाँच नहीं की गई थी।

3.82 जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और सूचित किया कि निर्धारिति ने छूट प्राप्त मंजूरी तथा भुगतान किए गए ₹4.53 लाख ब्याज पर आरोप्य होने वाली वास्तविक धनराशि के ₹14.72 लाख वापस कर दिए थे। उसने व्यापारिक गतिविधियों पर आरोप्य ₹0.93 लाख की अदा की गई ब्याज तथा ₹4.83 लाख की सेनवेट क्रेडिट की राशि वापस कर दी थी। मंत्रालय ने बताया कि तथाकथित मुद्दा वित्तीय वर्ष 10-11 अवधि से संबंधित है। आंतरिक लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा में इस अवधि को शामिल नहीं किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि यह मुद्दा 2008-2009 से शुरू होने वाली अवधि से संबंधित है।

सेवा कर के गैर-भुगतान का पता लगाने में विफलता

3.83 केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा नियमावली, 2008 के पैरा 10.4.1 से पैरा 10.4.5 तक के अनुसार डेस्क समीक्षा, कार्यालय में होने वाली लेखापरीक्षा कार्यक्रम का पहला चरण है। वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन एक अच्छी लेखापरीक्षा योजना बनाने के लिए एक अच्छी डेस्क समीक्षा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त डेस्क समीक्षा में संवीक्षा किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत सूची अनुबंध सी में दी गई है जिसमें वार्षिक रिपोर्टें, लाभ तथा हानि लेखा, तुलन-पत्र लेखा पर टिप्पणियों, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि की समीक्षा आवश्यक है। अनुबंध ई, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट से सत्यापन हेतु विभिन्न बिन्दुओं की व्याख्या करता है। रायल्टी तथा तकनीकी प्रयोगविधि प्रभारों के संबंध में लेखापरीक्षक रायल्टी तथा तकनीकी प्रयोगविधि पर सेवाकर के कर अनुपालन पहलुओं के आंकलन के लिए भुगतान के संदर्भ तथा कार्यक्षेत्र के बारे में उत्पादवार स्रोत दस्तावेजों की जाँच कर सकते हैं।

3.84 सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) की व्याख्या में वांछित है कि एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज के संबंध में, सेवाकर उन पर देय होगा जिस पर सेवाकर बनता हो चाहे राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि यह सेवाप्रदाता के खाता बही में निकाली गई हो या जमा हुई हो। करयोग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति प्राप्त किसी भी भुगतान में किसी भी खाते को किया गया अथवा लिया गया भुगतान शामिल होगा चाहे वह सेवाप्रदाता के खाता बही में बट्टेखाता या अन्य किसी नाम से दर्ज हो। वित्त अधिनियम की धारा 66ए में उल्लेख है कि भारत के बाहर से करयोग्य सेवा प्राप्तकर्ता सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(iv) के तहत सेवाकर का भुगतान करने हेतु दायी है।

3.85 औरंगाबाद आयुक्तालय में हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने फरवरी 2011 में मै. स्कोडा आटो इंडिया प्रा.लि. की लेखापरीक्षा की। इस तथ्य के बावजूद कि इस पहलू की जाँच, नियमावली के उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित मानक जाँच का एक भाग थी, फिर भी यह न तो डेस्क समीक्षा के दौरान और ना ही वास्तविक लेखापरीक्षा के समय रायल्टी भुगतान पर सेवाकर के कम/गैर भुगतान का पता लगा पाया।

3.86 औरंगाबाद आयुक्तालय में मै. र्स्कोडा ऑटो इंडिया प्रा.लि. ने अपनी स्वामित्व वाली कंपनी मै. र्स्कोडा चेक गणराज्य को निर्माण हेतु तकनीकी स्थानान्तरण एवं ट्रेडमार्क लाइसेंस करार करके यात्री कारों और उनके सामान/पुर्जों के वितरण तथा बिक्री के संबंध में रायल्टी का भुगतान किया। अभिलेखों ने दर्शाया कि निर्धारिती ने संबंधित क्रमागत वर्षों में वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 10 के लिए अधिशुल्क पर सेवा कर का भुगतान किया। हमने देखा कि निर्धारिती ने सेवा कर के गणना में टीडीएस शामिल नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप दो वर्षों के संबंध में ₹ 17.77 लाख और ₹ 5.79 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। वित्तीय वर्ष 10 में सेवा कर के भुगतान में विलंब हुआ जिस पर वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत ₹ 2.30 लाख का ब्याज वसूली योग्य था। वर्ष 2008-09 के लिए, निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2011) तक रायल्टी पर ₹ 25.87 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। लागू होने वाली मानक लेखापरीक्षा जाँच में गैर-अनुपालन को दर्शाते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा ने इन कमियों का पता नहीं लगाया।

3.87 जब हमने यह बताया (अगस्त 2011), मंडलीय कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 09 के लिए सेवा कर के गैर-भुगतान के संबंध में आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2011) और कहा कि अधिकृत व्यक्ति के विवरण के अभिलेखन और संबद्ध अभिलेखों की उचित संवीक्षा के बाद एससीएन बनाया जायेगा। वित्तीय वर्ष 10 के लिए लंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में, उसने कहा (जून 2012) कि मैसर्स र्स्कोडा ऑटो ए.एस. (अर्थात् सेवा प्रदाता) ने 16 दिसंबर 2010 को बीजक जारी किया था और निर्धारिती ने 03 जनवरी 2011 को अपने खाते में राशि डेबिट की थी। इसलिए, सेवा कर के भुगतान के लिए देय तिथि 06 फरवरी 2011 थी। निर्धारिती ने 31 दिसंबर, 2010 को अग्रिम रूप से सेवा कर का भुगतान किया और ब्याज वसूली योग्य नहीं था। इसने बाद में लंबित भुगतान पर ₹ 2.30 लाख के ब्याज की एससीएन की मांग जारी करने के सूचना दी।

3.88 वित्तीय वर्ष 10 के लिए सेवा कर के लंबित भुगतान पर ब्याज के संबंध में उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न प्रावधान अपेक्षा करते हैं कि "सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" के खाते में जैसे और जब राशि बुक की जाती है सेवा कर के भुगतान के लिए देयता हो जाती है। मैसर्स साइप्ल ने 31 मार्च 2010 को तुलन-पत्र में जो 14 सितंबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था उतनी ही राशि का रायल्टी (उस पर देय टीडीएस की राशि और आर एंड डी उपकर के साथ) दर्शाया। क्योंकि निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए उसके खाते की किताब में उपरोक्त राशि पहले की क्रेडिट/डेबिट कर ली थी, उसे वित्तीय अधिनियम की धारा 75 के अनुसार मार्च 2010 तक सेवा कर का भुगतान कर देना चाहिए। इसलिए, ब्याज के भुगतान का उत्तरदायित्व भी विद्यमान है।

3.89 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त अनियमितता का पता न लगाना भी आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों के काम की गुणवत्ता आंकने के लिए बनी प्रणाली (केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल के पैरा 6.4.2 के अंतर्गत मद 3 और सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल के पैरा 10.4.2 (सी)) को मजबूत करने की आवश्यकता दर्शाता है।

3.90 मंत्रालय को अभी अपना उत्तर देना है (मई 2013)।

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

अभिरुचि के विविध विषय

3.91 पूर्ववर्ती भागों में प्रतिवेदित मामलों के अलावा, हमने लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान कुछ अन्य दिलचस्प मामले देखे, जिनमें ₹ 48 लाख का सेवा कर सम्मिलित था। हमने दो ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को इन निष्कर्ष को संप्रेषित किया।

पश्च: लेखापरीक्षा के आदेशों का निष्पादन सुनिश्चित करने वाली प्रणाली के न होने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि

3.92 वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 73(1) अपेक्षा करती है कि जहाँ कहीं भी सेवाकर गलती से वापस कर दिया गया हो, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी संबद्ध तिथि से एक वर्ष के अंदर (अठठारह महीने 28 मई 2012 से लागू) व्यक्ति जिसको यह कर की वापसी गलती से कर दी गई है को नोटिस दे सकता है, कि उससे कारण बताने की अपेक्षा करके कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना है। केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी, सेवा कर के आदेय व्यक्ति पर अनुवर्ती अवधि के लिए किसी नोटिस के अनुवर्ती विवरण, जिसमें गलती से वापस किये गये सेवा कर की जानकारी शामिल हो भी दे सकता है; तब, इस प्रकार के विवरण देना, ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाना समझा जायेगा, इस शर्त के अधीन कि अनुवर्ती अवधि के लिए विश्वसनीय आधार जैसे पूर्व नोटिसों में वर्णित है, वैसे हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उस व्यक्ति और जिसको उप-धारा (1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया हो, के निवेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति को गलती से वापस की गई सेवा कर की राशि निर्धारित करनी चाहिए।

3.93 दिनांक 7 जुलाई 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-एसटी निर्यातक द्वारा कथित माल के निर्यात के लिए उपयोग किए गए विनिर्दिष्ट सेवा कर की वापसी के रूप में प्रदान की जाने वाली छूट के दावे पर विचार करती है। इसके अलावा, विभाग को दावे की राशि पर ध्यान दिये बिना लेखापरीक्षा पूर्व दावों पर विचार नहीं करना चाहिए।

3.94 कोलकाता सेवाकर आयुक्तालय के मंडल-I में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी ने अप्रैल 2010 में मैसर्स प्रेसिडेंसी एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ₹ 42.11 लाख की वापसी की स्वीकृति दी। लेखापरीक्षा के बाद, उप-आयुक्त, सेवा कर (लेखापरीक्षा) कोलकाता ने सभी वापसी के दावों को अमान्य बताया क्योंकि "कार्गो हैंडलिंग सर्विस" उक्त अधिसूचना के अंतर्गत शामिल विनिर्दिष्ट सेवा नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप मंडल को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू करनी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि मंडल ने स्वीकृति अमान्य वापसी की वसूली प्रभावित करने के लिए कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया न ही सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.12 लाख के बराबर के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

3.95 जब हमने यह बताया (जनवरी 2012), मंडल ने कहा (28 मार्च 2012) कि यद्यपि उप-आयुक्त (लेखापरीक्षा) सेवा कर, कोलकाता ने लेखापरीक्षा के बाद यह वर्णन करते हुए आदेश पारित किये कि सभी वापसी के दावे पूर्णतः या अंशतः अमान्य थे, मूल रूप से उन आदेशों के प्रति अपील

दाखिल करने के लिए समीक्षा के कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। इस स्थिति में, मंडलीय कार्यालय, अपने आप ही वसूली की कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं था।

3.96 लेखापरीक्षा को मंडल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वापसी अनुचित थी। स्पष्ट रूप से, मंडल को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। चूंकि दर्शाती है कि आयुक्तालय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा के बाद के सभी आदेशों के समय पर निष्पादन के माध्यम से राजस्व की सुरक्षा की जा रही थी, निगरानी तंत्र का अभाव है।

3.97 मंत्रालय को अभी उत्तर देना है (मई 2013)। लेखापरीक्षा का विचार है कि बोर्ड पश्च: लेखापरीक्षा आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित वसूली कार्रवाई को शुरू करने पर निर्देश/स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

सेनेट क्रेडिट के अनुचित उपयोग का पता न लगाना

3.98 वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 84(1) के अनुसार, आयुक्त, किसी भी कार्यवाही के अभिलेखों जिसमें उसके अधीनस्थ न्यायकर्ता प्राधिकारी ने किसी भी आदेश की वैदाता या स्वामित्व के रूप में उसको संतुष्ट करने के उद्देश्य के लिए कोई आदेश पारित किये हैं की जांच कर सकता है। वह निर्णय या आदेश से उत्पन्न इस प्रकार के तथ्य जैसे उसके आदेश में विनिर्दिष्ट हो उल्लिखित करने के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क (अपील) को ऐसे प्राधिकारी या अपने अधीनस्थ किसी भी केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी को आवेदन करने के लिए निर्देश दे सकता है। उसे ऐसे आदेश न्यायकर्ता प्राधिकारी के आदेश के संप्रेषण की तिथि से तीन महीने के अंदर जारी करने चाहिए।

3.99 सेवा (भारत के बाहर से प्रदान की गई और भारत में प्राप्त) कराधान नियमावली, 2006 के नियम 5 के साथ पढ़ी जाने वाली सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(4) अभिकल्पित करता है कि सेवा के आयात पर सेवा कर के भुगतान के लिए सेनेट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 75, सेवा कर लंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली का प्रावधान करती है।

3.100 औरंगाबाद आयुक्तालय में निर्धारिती मैसर्स क्रोम्पटन ग्रिवस लिमिटेड, की नवम्बर 2008 में लेखापरीक्षा से वित्तीय वर्ष 07 में मैसर्स केमा हाई वोल्टेज लेबोरेट्री, नीदरलैंडस से सेवा के आयात पर सेवा कर के गैर-भुगतान का पता चला तथ्य विभाग के ध्यान में लाया। तथापि, बताये जाने पर, निर्धारिती ने उस पर से ₹ 1.34 लाख का ब्याज और सेनेट क्रेडिट के माध्यम से सेवा कर के रूप में ₹ 4.27 लाख का नकद भुगतान किया (दिसंबर 2008)। सेवा के कराधान(भारत के बाहर से प्रदान किया गया और भारत में प्राप्त) नियमावली, 2006 के नियम 5 साथ पढ़ा जाने वाला सेनेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(4) अपेक्षा करता है कि निर्धारिती को सेवा के आयात पर सेवा कर के भुगतान के लिए सेनेट क्रेडिट का उपयोग नहीं करना चाहिए। निर्धारिती को सेवा कर का केवल नकद में भुगतान करना चाहिए। हमने देखा (अगस्त 2011) कि विभाग ने एक एससीएन जारी किया (अगस्त 2009) और उसका निर्णय करते हुए (मार्च 2010) निर्धारिती द्वारा प्रदत्त ₹ 1.34 लाख के

2013 की प्रतिवेदन सं.17 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

ब्याज और सेनवेट के माध्यम से ₹ 4.27 लाख के सेवा कर को विनियोजित किया। निर्णय आदेश में सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवा कर के भुगतान की वैद्यता/औचित्य का पहलू नहीं था। जब तक सीईआरए ने इस मामले को नहीं बताया (अगस्त 2011) तब तक किसी विभागीय प्रक्रिया/प्राधिकरण ने इस उद्देश्य के लिए सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता पर प्रश्न नहीं उठाया था।

3.101 जब हमने यह बताया, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और सूचित किया (जनवरी 2013) कि निर्धारिती ने सेवा कर के लिए ₹ 4.27 लाख और ₹ 1.60 लाख के ब्याज का नकद भुगतान किया। मामले में निर्णयादेश की कार्यवाही के अभिलेखों की समीक्षा के संबंध में, यह कहा गया कि, दिनांक 3 अगस्त 2009 के कारण बताओ नोटिस ने निर्धारिती द्वारा पहले से ही अदा की गई ₹ 4.27 लाख की राशि विनियोजित करने का प्रस्ताव दिया। न्यायिक आदेश ने उसी को अपनाया, उक्त न्यायिक आदेश की समीक्षा ने भी उसी को स्वीकार किया। न तो न्यायकर्ता प्राधिकारी न ही समीक्षा करने वाले प्राधिकारी एससीएन से आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए, जब एससीएन ने स्वयं सेनवेट क्रेडिट के खाते के माध्यम से पहले ही दे दी गई सेवा कर की राशि को विनियोजित करना प्रस्तावित किया, समीक्षा करने वाले प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जा सके।

3.102 मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सेवा कर के भुगतान का अनुचित तरीका विभाग की जानकारी में था, यद्यपि कारण बताओ ज्ञापन को किसी भी स्तर पर शोधित नहीं किया गया था। जब तक लेखापरीक्षा ने कमी को नहीं बताया, विभाग ने नकद में सेवा कर राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। यह कमी (परिशिष्ट VI, मद सं 12 भी देखें) कारण बताओ ज्ञापन में विषय वस्तु की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्र की पर्याप्तता की संवीक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है।

सी. नेडुन्नीलिङ्गम

(सी. नेडुन्नीलिङ्गम)

प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

नई दिल्ली

दिनांक: 5 अगस्त, 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 5 अगस्त, 2013